न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 43/20 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला अलवर

:——प्रतिवादी अपीलांटस

वनाम

1 मु0 जयदेवी बेवा शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
2 सावित्री पुत्री स्व0 शेरसिंह पत्नि सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील व जिला नारनौल हरियाणा
3 उदयवीर पुत्र स्व0 शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना
4 बाला पुत्री शेरसिंह पत्नि करणसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील व जिला नारनौल हरियाणा
5 सुनीता पुत्री स्व0 शेरसिंह पत्नि रणसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील नारनौल हरियाणा
6 रोहिताश पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द
7 लालाराम पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द
8 राजाराम पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द जातियान अहीर निवासीयान ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर

:—— वादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराना दिनांक 5.9.2019

उपस्थित :–
1. वकील अपीलांट :– श्री अमरचन्द चौधरी
2. वकील रेस्पो0 :– श्री दिनेश यादव

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 25.11.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, नीमराना द्वारा राजस्व वाद संख्या 248/16 बावत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज में पारित निर्णय दिनांक 5.9.2019, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र डिकी किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत न्यायालय हाजा में पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, 103 रकबा 4 बिस्वा वाके ग्राम नायसराना तहसील नीमराना से सम्वत 2042 में हाल खसरा नम्बरान 113 रकबा 22 एयर, 116 रकबा 53 एयर, 114 रकबा 58 एयर कायम हुये हैं, जो विवादित है । साबिक खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता श्योकरण पुत्र हरचन्द की कब्जे काश्त खातेदारी की थी । उनके देहान्त के बाद वादीगण काबिज हो गये । साबिक खसरा नम्बर 103 रकबा 4 बिस्वा सम्वत 2029 की जमाबन्दी में पानी के नीचे डूबे हुये व चराई के लिये उपयुक्त जमीनें व निवास स्थान व बस्तियां दर्ज है । बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा, 103 रकबा 4 बिस्वा का हाल नम्बर 113 रकबा 22 एयर, 116 रकबा 53 एयर, 114 रकबा 58 एयर कायम कर खसरा नम्बर 113 व 116 को वादीगण की खातेदारी में कर दिया, परन्तु 53 एयर रकबा कम करके हाल नम्बर 114 रकबा 58 एयर में शामिल करके बंजड दर्ज कर दिया, जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी हैं । अतः वाद पत्र डिकी किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 5.9.2019 के द्वारा उक्त वाद पत्र डिकी किया है, जिससे व्यथित होकर राज्य सरकार की ओर से यह अपील पेश की गई है ।

3 राज्य सरकार (अपीलांट) की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर अभिकथन किया है कि श्रीमान जिला कलेक्टर से अपील पेश करने की अनुमति लेने, तहसीलदार द्वारा सम्पूर्ण रिकार्ड उपलब्ध कराने में समय व्यतीत हुआ है तथा कोरोना महामारी में लॉकडाउन होने के कारण भी समय व्यतीत हुआ है । इसलिये अपील देर से पेश की गई है । अतः देरी को माफ किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक (अपीलांट) ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि आराजी हाल खसरा नम्बर 114 रकबा 58 एयर के साविक खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व 103 रकबा 4 बिस्वा थे । उक्त भूमि वादीगण रेस्पो0 के पिता श्योकरण पुत्र हरचन्द की कब्जे काश्त खातेदारी की नहीं थी । उक्त भूमि साविक रेकार्ड में सिवायचक बंजड दर्ज थी । बंदोबस्त विभाग ने साबिक रेकार्ड के अनुसार एवं मौके के अनुसार सही तौर पर बंजड सिवायचक दर्ज किया है । कानूनन ऐसी भूमि पर खातेदारी नहीं दी जा सकती । राज्य सरकार की ओर से तहत अदालत में जवाब दावा पेश कर दिया गया था । तहत अदालत ने तनकियात तो कायम की, परन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया । तहत अदालत ने सरकारी भूमि पर गलत तौर पर खातेदारी दे दी है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार कर तहत अदालत का निर्णय निरस्त किया जावे ।

5 जवाब में विद्वान वकील वादीगण रेस्पो0 का कथन है कि देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया है । इसलिये अपील मियाद बिन्दू पर ही खारिज की जावे । विद्वान वकील ने गुणावगुण पर तर्क दिये कि विवादित भूमि हमारे पूर्वज की कब्जे काश्त खातेदारी की थी । बंदोबस्त सम्वत 2042 में हमारी खातेदारी का रकबा 53 एयर कम करके सिवायचक बंजड की भूमि खसरा नम्बर हाल 114 में शामिल कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को किसी खातेदार का रकबा कम करने का अधिकार नहीं है । उसे पुराने इन्द्राजात को दोहराने का ही अधिकार है । हमने अपने वाद पत्र को दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श– 1, 2 तथा नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042–61 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी सम्वत 2042–61 प्रदर्श–5,6,7,8 और नकल जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–9,10 तथा मौखिक साक्ष्यों से साबित कराया है । हमने सरकारी भूमि पर खातेदारी नहीं चाही है, बल्कि हमारी खातेदारी का रकबा जो कम करके सिवायचक बंजड की भूमि खसरा नम्बर 114 में शामिल किया गया है, उसे दुरूस्त कराकर खातेदारी चाही है । वाद पत्र सही तौर पर डिक्री किया गया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में तथा अपीलांट द्वारा मियाद बिन्दू पर दिये गये तर्कों पर विश्वास करते हुये उदार दृष्टिकोण अपनाया जाकर देरी को माफ किया जाता है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर गौर किया । जमावन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–1 में खसरा नम्वर 113 रकवा 22 एयर, 116 रकवा 53 एयर पर वादीगण रेस्पो0 को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमावन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–2 में खसरा नम्वर 114 रकवा 58 एयर को वंजड दर्ज किया हुआ है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 प्रदर्श–3 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 105 मिन रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 113 रकबा 22 एयर, साबिक खसरा नम्बर 103 रकवा 4 बिस्वा व 105 मिन से हाल नम्बर 114 रकवा 58 एयर, साविक खसरा नम्वर 104 मिन रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा से हाल नम्बर 115 रकबा 1.25 हेक्टेयर बनना पाये जाते हैं । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042–61 प्रदर्श–4 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 105 मिन से हाल नम्बर 116 रकबा 53 एयर बनाया गया है । दस्तावेज सम्वत 2042–61 प्रदर्श–5 में खसरा नम्बर 113 रकबा 22 एयर, 116 रकबा 53 एयर पर श्योकरण को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2042 प्रदर्श–7 में खसरा नम्बर 114 रकबा 58 एयर को सिवायचक लगानी दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–9 में खसरा नम्बर 103 रकबा 4 बिस्वा पर पानी के नीचे डूबे हुए, चराई के लिए उपयुक्त, निवास स्थान व बस्तियां की प्रविष्टियां की हुई है । जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–10 में खसरा नम्बर 105 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा पर श्योकरण पुत्र हरचन्द कौम अहीर साकिन देह खातेदार की प्रविष्टि अंकित है ।

8 उपरोक्त समस्त राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह भलीभांति सिद्ध है कि हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा वादीगण के पिता श्योकरण की खातेदारी में दर्ज थी, जैसा कि तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2029 प्रदर्श–10 से साबित है । हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में उक्त साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा से हाल खसरा नम्बरान 113 रकबा 22 एयर, 114 रकबा 58 एयर तथा 116 रकबा 53 एयर बनाये गये थे, जैसा कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 प्रदर्श–3 से साबित है । साबिक खसरा नम्बर 105 से बने हाल नम्बरान 113 रकबा 22 एयर तथा 116 रकबा 53 एयर पर तो वादीगण के पिता श्योकरण को खातेदार दर्ज कर दिया, जैसा कि

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

जमाबन्दी सम्वत 2042–61 प्रदर्श–5 से साबित है, परन्तु साबिक खसरा नम्बर 105 से बने हाल नम्बर 114 रकबा 58 एयर में वादीगण के पिता श्योकरण की शेष भूमि रकबा 53 एयर शामिल कर उसे सिवायचक लगानी दर्ज कर दिया, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2042–61 प्रदर्श–7 से साबित है । बाद में उक्त खसरा नम्बर हाल 114 रकबा 58 एयर को वंजड दर्ज कर दिया, जैसा कि जमाबन्दी सम्वत 2070–73 प्रदर्श–2 से साबित है । इस प्रकार यह सिद्ध है कि वादीगण के पिता श्योकरण की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा नम्बर 105 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा की 53 एयर भूमि हाल बंदोबस्त सम्वत 2042 में सरकारी भूमि खसरा नम्बर 114 रकबा 58 एयर में शामिल कर दी गई, जो कि विधिसम्मत नहीं है । बंदोबस्त विभाग को साबिक इन्द्राजात को परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है, वह पुराने इन्द्राजाता को केवल दोहरा सकता है । वादीगण उक्त 53 एयर रकबे पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है । तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, उसमें हम उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

9 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के
10 अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.9.2019 को यथावत रखे जाते हैं ।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली
फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 43/20 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–
1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, अलवर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नीमराना जिला अलवर

:–––प्रतिवादी अपीलांटस

बनाम

1 मु0 जयदेवी बेवा शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
2 सावित्री पुत्री स्व0 शेरसिंह पत्नि सुबेसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील व जिला नारनौल हरियाणा
3 उदयवीर पुत्र स्व0 शेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम नायसराना
4 बाला पुत्री शेरसिंह पत्नि करणसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील व जिला नारनौल हरियाणा
5 सुनीता पुत्री स्व0 शेरसिंह पत्नि रणसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खासपुर तहसील नारनौल हरियाणा
6 रोहिताश पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द
7 लालाराम पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द
8 राजाराम पुत्र स्व0 श्योकरण पौत्र हरचन्द जातियान अहीर निवासीयान ग्राम नायसराना तहसील नीमराना जिला अलवर

:––– वादीगण/रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, नीमराना दिनांक 5.9.2019

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री अमरचन्द चौधरी

2. वकील रेस्पो0 :— श्री दिनेश यादव

पर्चा डिक्री

दिनांक 25.11.2021

1 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 5.9.2019 को यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉखला)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर